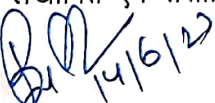


अपर उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज
राजस्व विविध वाद संख्या:- 31/1996-97
सरकार-बनाम-अहमद अली

दिनांक एवं आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
14.06.2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। अपीलार्थी-उपसमाहर्ता, भूमि सुधार, राजमहल ने अभिलेख हस्तांतरित करते हुए सूचित किया है कि मौजा- नीजग्राम, जमाबंदी नं०-123, दाग नं०-159, रकवा-00-08-09 धूर एवं दाग नं०-162, रकवा-00-06-01 धूर जमीन पोखर कहकर अहमद अली शेख के नाम से पंजी-11 में दर्ज है। उक्त पोखर अन्तर्गत जमाबंदी बोगस है के संबंध में सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ है। अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु अपीलार्थी एवं विपक्षी स्वयं या विज्ञ अधिवक्ता द्वारा उक्त वाद से संबंधित कोई भी लिखित बहस या दलील प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूँकि बिगत कई वर्षों से उक्त वाद में उभय पक्ष अनुपस्थित रहे हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है। अतएव बिना किसी प्रभावकारी आदेश के वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अपर उपायुक्त, साहेबगंज।  अपर उपायुक्त, साहेबगंज।	